न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 199/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/325

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
वीराराम पुत्र सोनाराम जाति बावरी निवासी जोधपुर मार्ग बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.तुलसीदेवी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी–इन्द्रा गांधी नगर बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 16.05.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 761 रकबा 1.15 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में अवस्थित थी। विप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी खातेदारी भूमि में से रकबा 1.11 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाए जाने पर नए खसरा संख्या 1486/761 रकबा 1.11 बीघा एवं शेष भूमि रकबा 0.04 बीघा के खसरा संख्या 1487/761 कायम हुए। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा शेष भूमि रकबा 0.04 बीघा परिशिष्ट अ में दर्शित बी,डी,ई, अनुसार प्रार्थी को दिनांक 08.12.2022 को बेचान की गए तथा वक्त खरीद से आदिनांक प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अभी हाल विवादित भूमि की नक्शा प्रतिया ली गई तो चला कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की मौके स्थिति के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम कर रखी है। जबकि प्रार्थी का परिशिष्ट अ में दर्शित बी,डी,ई, अनुसार है। अतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विद्यमान तरमीम अशुद्ध के कारण निरस्त की जाकर परिशिष्ट अ में दर्शित बी,डी,ई, अनुसार तरमीम दुरस्त हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.21 19:14:57 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01 से विवादित भूमि की

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

मौका रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 761 रकबा 1.15 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में अवस्थित थी। विप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी खातेदारी भूमि में से रकबा 1.11 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने का आवेदन–पत्र पेश किए जाने पर श्रीमान विहित प्राधिकारी अधिकारी(एस.डी.ओ.) बालोतरा द्वारा आदेश क्रमांक 525 दिनांक 04.4.2007 के द्वारा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किए जाने नए खसरा संख्या 1486 / 761 रकबा 1.11 बीघा एवं शेष भूमि रकबा 0.04 बीघा के खसरा संख्या 1487 / 761 कायम हुए। उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा मे शेष रकबा 0.04 बीघा उत्तर दिशा में अवस्थित होना दर्शित किया था,जिसे विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा प्रमाणित किया गया था। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा शेष भूमि रकबा 0.04 बीघा परिशिष्ट अ में दर्शित बी.डी.ई. अनुसार प्रार्थी को दिनांक 08.12.2022 को बेचान की गए तथा वक्त खरीद से आदिनांक प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। वक्त खरीद के समय भूमि की तरमीन पृथक से नहीं कर रखी थी। राजस्व अधिकारीयों द्वारा बिना प्रार्थी को सूचित किए विवादित भूमि की तरमीन मौका स्थिति के विपरीत कर दी गई। जबकि प्रार्थी का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि के लगते उतरी दिशा में भूमि अवस्थित है,लेकिन लटढा नक्शा में इसके विपरीत तरमीन किए जाने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि तहसीलदार पचपदरा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि प्रार्थी की भूमि का मौका स्थिति के विपरीत तरमीन हो रखी है। अतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विदयमान तरमीन निरस्त की जाकर परिशिष्ट अ में दर्शित बी.डी.ई. अनुसार तरमीन दुरूस्ती किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

4.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 761 रकबा 1.15 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में अवस्थित थी। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रकबा 1.11 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाई गए,जो विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के आदेश क्रमांक 525 दिनांक 04.04.2007 के द्वारा पारित हुआ। उक्त संपरिर्वतन आदेश के संलग्न नक्शा मुताबिक संपरिवर्तन भूमि रकबा 1.11 बीघा भूमि के बदिशा उत्तर की तरफ शेष रकबा 0.04 बीघा अवस्थित है। [illegible] की खातेदारी मे अवस्थित है। लेकिन वर्तमान लटढा नक्शा [illegible] तरमीम विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी भूमि के आगे हो [illegible] स्थिति के विपरीत तरमीम हो रखी है। क्योंकि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मूल खसरा [illegible] 761 में से रकबा 1.11 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवानें के बाद शेष भूमि रकबा 0.04 बीघा बदिशा उत्तर में छोड़ा था,उक्त भूमि ही प्रार्थी द्वारा खरीद की गई,जो संपरिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट होता है। संपरिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:14:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वर्तमान नक्शा एक दुसरे के विपरीत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जो प्रार्थी तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार हैं। उक्त तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट से होती है। जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मूल खसरा संख्या 761 से विभक्त होकर बनें नए खसरा संख्या 1486/761 व 1487/761 दोनो ही खसरे मौके पर स्थित है तथा विवादित भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। इस प्रकार भूमिधारी तहसीलदार पचपदरा ने भी विवादित भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत होना स्वीकार किया है।

05.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1487/761 क्षेत्रफल 0.0506 हैक्टयर भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर परिशिष्ट अ में दर्शित बी.डी,ई. अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त परिशिष्ट अ नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.05.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:14:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *